हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ओर इन्तकाल नं. 568 ग्राम किशनपुरा को खारिज करने की ~~आवेदन~~ प्रार्थना की विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ओमप्रकाश की ओर से प्रकरण सं. 35/2011 बउनवान ओमप्रकाश बनाम योगेन्द्र वगैरहा तथा प्रकरण सं. 34/2011 बउनवान योगेन्द्र प्रकाश वगैरह बनाम चतुर्भुज वगैरहा न्यायालय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां के निर्णय दिनांक 27-5-2015 पेश की। न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया और न्यायालय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां के दोनों आदेश दिनांक 27-5-15 की रोशनी में इस प्रकरण को स्थगित किया जाना समुचित पाता हूँ। अत: आदेश दिया जाता है कि, माननीय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां के मूल वाद के निर्णय होने तक इस अपील को स्थगित किया जाता है। अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-3-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official